

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 179/2020

छोटी देवी पत्नी शीशराम उम्र 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढाणी खातीयाला तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान

..... प्रार्थीया

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 23-03-2021

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम सिहोड़ स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 144, 145 में प्रार्थीया का नाम छोटी पत्नी शीशराम के स्थान पर छोटी देवी पत्नी शीशराम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर, प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073-76 खाता सं. 144, 145 ग्राम सिहोड़ पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम सिहोड़ स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 144, 145 में प्रार्थीया का नाम छोटी पत्नी शीशराम के स्थान पर छोटी देवी पत्नी शीशराम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सिहोड़ स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 144, 145 में प्रार्थीया का नाम छोटी पत्नी शीशराम के स्थान पर छोटी देवी पत्नी शीशराम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
खेतड़ी (राजस्थान)
